

डीजी बताएं कैसे बंद होंगे अश्लील गाने : हाईकोर्ट

रुज्य छ्यूरो, पटना : आठों बें बजने वाले अश्लील गानों पर पटना उच्च न्यायालय ने सख्त रुक्ष अद्यतायार किया है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशाक (डीजीपी) से 36 घंटे के भीतर यह बताने को कहा है कि इस पर किस तरह योक लगायी जा सकती है। अदालत ने पहले से चल रही ऐसी किसी कार्रवाही की जानकारी भी मांगी। साथ ही ऐसे गानों की सीढ़ी की विक्री पर प्रतिवध का उपाय भी पूछा।

बुधवार को एक लोकहित याचिका के जरिए बहावद्वारी पुरुष न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी एवं न्यायाधीश नवनीति प्रसाद रिंग की दुंडपीठ का ध्यान बातावरण के सहवर्जनिक सहभानों में बजने वाले अश्लील गानों की तरफ दिलाया गया। याचिका में कहा गया कि भोजपुरी गानों में सीढ़ी

- ◆ जदाद के लिए न्यायालय ने दिया 36 घंटे का समय
- ◆ अश्लील गानों की सीढ़ी की विक्री पर रोक के भी किए जाएं उपाय



सीढ़ी हरें पार कर दी है। संदीप कुमार द्वारा दायर याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि आठी रिक्षा, ट्रैक्टर, मिनी बस,

ई-रिक्षा, सवारी गाड़ियों में इनके चलते भारी पोरकानी होती है। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। सबसे खात्र स्थिति परिवार के साथ कहीं सफर के दौरान होती है। गाना बजाने से बना करने पर मारपीट तक हो जाती है। ऐसा समाज है इन्हें कुछ भी बजा देने का पर्मिट मिला हूआ है। इस पर तकाल अंकुश लगाने के लिए हाईकोर्ट को दिशा निर्देश जारी करनी चाहिए।

इस मामले पर सरकारी बहील ने गाने बजने पर एकआइआर करने की सलाह दी। कोर्ट ने इस सलाह को पूरी तरह अव्यवहारिक बताया। कोर्ट ने डीजीपी से पूछा कि सरकार अश्लील गानों की सीढ़ी की विक्री पर प्रतिवध के क्या उपाय कर सकती है।

विस्तृत

आयुर्वेद

हाइकोर्ट ने किया है कि प्रसाद सिंह की मृत्यु अपनी जीवनी की बताया कि वह कर्मचारी भी रही है यह आदेश

टीर कुंभ

हाइकोर्ट ने की घर्षणों द्वारिका की द जरिसन कि टीर कुंभ इस योजना मामले थी

आंटो, ट्रक व ट्रैक्टर में अस्लील भोजपुरी गाने वाने पर लगी रोक, डीजीपी को कड़े निर्देश : उद्धकोर्ट ने आंटो, ट्रक व ट्रैक्टर में अस्लील भोजपुरी गाने वाने पर गोक स्वगाने का आदेश दिया है। कार्यवालक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी व जरिसन नवनीति प्रसाद सिंह की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दबाव दाचिका पर मुनबाहिं करते हुए कही नारजी जाहिर की, कोर्ट ने शव्य के दीजीपी को तालकाल ऐसे गानों के बजने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। संविधान कानून की लोकहित दाचिका की मुनबाहिं करते हुए कोर्ट ने दीजीपी से आंटो, ट्रक और ट्रैक्टर पर इस तरह के अस्लील गाने के बजने पर किस प्रकार गोक स्वगारी जायेगी, उसकी विस्तृत कार्यशोभना बताने को कहा, दाचिका ने कहा गया है कि पुलिस की जानकारी ने आंटो, ट्रक और ट्रैक्टरों में अस्लील भोजपुरी गाने बजाये जाते हैं।

10000

नापलोल
COM

ऑर्डर
करें

11-211-4 ॥१२७५४३२

0922

नव सी